डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 बरफी बनाम द्रोपती वगै0

मुकदमा नंबर 73/98 दावा बाबत 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू .... मिनजानिब मुददइ व .... मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि व हाजरी वादी

विवादित आराजी खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 वाके ग्राम अस्तल तहसील नदबई पर वादीगण को 5/6 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/6 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – गुबलिग – – – – – – – – – – – – – – – – – – – फीसदी सालाना कोर्ट की तारीख से डिक्री व सुलयाबी तक ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05/08/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— [signature] 5/8/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. बरफी पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. लच्छो पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. रूपवती पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कमला पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. सावित्री पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र लज्जाराम जाति कछवाया निवासी अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. हरीशचन्द पुत्र लज्जाराम जाति कछवाया निवासी अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. निहालसिंह पुत्र लज्जाराम जाति कछवाया निवासी अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. फूलवती पत्नी रामस्वरूप पुत्री लज्जाराम जाति कछवाया निवासी खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. विद्या पत्नी भगवानसिंह पुत्री लज्जाराम ग्राम मुखरावली तहसील हिन्डौन जिला करौली।
6. सुखी बेवा लज्जाराम जाति कछवाया साकिन अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. सरपंच ग्राम पंचायत पींगौरा पंचायत समिति नदबई।

प्रतिवादीगण

5/8/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 73/98
जी.सी.एम.एस. नम्बर 1998/00001
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.08.2025

1. बरफी पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. लच्छो पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रूपवती पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कमला पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. सावित्री पुत्री बीरबल जाति काछी निवासी पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र लज्जाराम जाति कछवाया निवासी अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. हरीशचन्द पुत्र लज्जाराम जाति कछवाया निवासी अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. निहालसिंह पुत्र लज्जाराम जाति कछवाया निवासी अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. फूलवती पत्नी रामस्वरूप पुत्री लज्जाराम जाति कछवाया निवासी खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. विद्या पत्नी भगवानसिंह पुत्री लज्जाराम ग्राम मुखरावली तहसील हिन्डौन जिला करौली।
6. सुखी बेवा लज्जाराम जाति कछवाया साकिन अस्तल मजरा पींगौरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. सरपंच ग्राम पंचायत पींगौरा पंचायत समिति नदबई।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित श्री रमेश देशवाल एड.(वादी की ओर से)

श्री रामकिशन पूनियां (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

संशोधित वादपत्र के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य निम्न प्रकार हैं–

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम हैं। राजरा वादपत्र पर अंकित है। मूल वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की माता द्रोपती है जो फौत हो चुकी हैं जिनके वारिसान वादीगण के रूप में अंकित हैं।

2. यह कि विवादित आराजी वाके ग्राम पींगौरा तहसील नदबई का विवरण मुताबिक नए पुराने खसरा नंबर अनुसार जरिए मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

हाल खसरा नंबर संवत 2060	गत खसरा नंबर संवत 2028
2440 / 0.57	1933 / 2 बीघा 5 बिस्वा
3686 / 0.31	2795 / 1 बीघा 4 बिस्वा

3. यह कि उक्त विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादीगण के पिता स्व0 बीरबल से प्राप्त आराजी है जिनका देहान्त सन् 1983 के आसपास हो गया। यह वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है लेकिन पिता के मरने के बाद समस्त आराजी का दाखिल खारिज वादीगण की माता द्रोपती जिनका दावा के दौरान ही स्वर्गवास हो चुका है के अकेले के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर बिना सूचना के राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का भी उक्त आराजी में अपनी माता द्रोपती के साथ वाहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी थी। लेकिन वादीगण की माता द्रोपती ने दिनांक 04.09.1996 को साबिक खसरा नंबर 1933 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसका हाल खसरा नबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 का रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता लज्जा के नाम करा दिया जो वादीगण के हिस्से तक नल एण्ड बोईड है तथा प्रति0 सं0 2 हरीशचंद ने जो गोदनामा दिनांक 10.06.1991 को अपने हक में दर्शाया है वह गोदनामा की शर्तों को पूरा नहीं करता है तत्समय प्रति0सं0 2 की उम्र न तो 15 वर्ष तक थी और न ही [illegible] विधिवत रूप से अपनी स्वीकृति प्रदान की थी इसलिए वर्णित गोदनामा [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 नल एण्ड बोईड है लिहाजा वादीगण [illegible] उक्त आराजी [illegible] 1933 साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 वाके ग्राम अस्तल (पींगोरा) तहसील नदबई पर हिस्सा 5/6 पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे शेष 1/6 हिस्सा वाहिस्सा बराबर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाए तथा वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

4. यह कि खसरा नंबर 2795 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नंबर 3686 रकबा 0.31 हैक्ट. पर कोई विवाद शेष नहीं रहा है। वादीगण को उक्त खसरा नंबर पर विरासतन खातेदारी अधिकार हासिल होने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है।

5. यह कि वादीगण विवादित खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 पर मुताबिक हिस्सा 5/6 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन प्रतिवादीगण अपने पिता लज्जा के हक में हो रहे उक्त बयनामा दिनांक 04.09.1996 के आधार पर संपूर्ण आराजी से बेदखल करने व अपने नाम दाखिला दर्ज कराकर दीगर व्यक्तियों को रहनवयमुन्तकिल करने पर आमादा है जिसकी पूर्व में दिनांक 15.05.98 को वादीगण को दी है। अगर प्रतिवादीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी। अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करा पाने के अधिकारी है कि वे वादपत्र में वर्णित खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट वाके ग्राम अस्तल हिस्सा 5/6 में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। एवं उक्त खसरा नंबर के 5/6 हिस्से पर वादीगण को वाहिस्सा बराबर तथा शेष 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एड़वोकेट उपस्थित हुऐ। प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया जिसके संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य निम्न प्रकार हैं–

1. यह कि प्रतिवादीगण के पिता लज्जाराम ने उक्त आराजी को वादिनीगण की माता द्रोपती से उचित प्रतिफल देकर जरिए रजि0 बयनामा [illegible].09.1986 क्रय कर लिया है। आराजी खसरा नंबर 1933 रकबा 2 [illegible] 5 [illegible] जिसका हाल नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 वाके [illegible] पींगोरा स्थित [illegible] उक्त दिनांक से ही प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के [illegible] पर खातेदार की तरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

काबिज काश्त हैं। वयनामा से पूर्व ही विवादित आराजी खसरा नंबर 1933 हाल नंबर 2440 वादिनीगण की माता द्रोपती के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज थी जिसको बेचने का पूर्ण अधिकार था। उक्त रजि0 वयनामा को नल एण्ड बोईड करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है जो कि सिविल न्यायालय में दावा पेश करना चाहिए था। वादिनीगण ने वादपत्र में यह अंकित किया है कि उक्त आराजी खसरा नंबर 1933 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में से 5/6 हिस्से को तो लेना चाहते हैं जबकि शेष 1/6 हिस्से को प्रतिवादीगण को किस आधार पर देना चाहते हैं यदि प्रतिवादीगण को 1/6 हिस्सा दिया जाता है तो पूर्ण वयनामा को अर्थात संपूर्ण हिस्से को वयनामा के आधार पर हक में किया जाना आवश्यक है।

2. यह कि वादिनीगण ने वयनामा दिनांक 04.09.1996 तथा दाखिल खारिज के खिलाफ किसी भी संबंधित न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः दावा वादिनीगण काबिल खारिज के है।

3. यह कि वादिनीगण ने एक दावा वाद संख्या 73/1998 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 10.01.2000 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः दावा वादिनीगण काबिल खारिज के है।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 6 के जबाब दावा के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात की गई जो इस प्रकार है।

1. आया वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 1933, 2795 वाके ग्राम पींगौरा पर वादिनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) वाहिस्सा बराबर वहैसियत खातेदार काश्तकार हैं?

—जिम्मेवादीगण

2. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण की एवं वादीगण के पिता की खातेदारी की आराजी है जिनकी मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हुई है वादिनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) उत्तराधिकारी होने के कारण हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हैं?

—जिम्मेवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (मूल वादपत्र) के पक्ष में जो बयनामा किया है वह गुपचुप व बिना अधिकार के है व वादिनीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल व बेअसर है? — जिम्मेवादीगण

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को हुक्म दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है? — जिम्मेवादीगण

5. आया आराजी खसरा नंबर 1933 हाल खसरा नंबर 2440 वाके ग्राम पींगौरा को प्रतिवादीगण के मृतक पिता लज्जा ने प्रतिफल देकर द्रोपती से दिनांक 04.09.1996 को रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय की गई? —जिम्मेप्रतिवादीगण

6. आया विवादित आराजी का बयनामा व गोदनामा को बातिल व बेअसर करने का सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है? — जिम्मेप्रतिवादीगण

7. आया उक्त बयनामा का ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खोला गया जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई, दावा चलने योग्य नहीं है? —जिम्मेप्रतिवादीगण

8. आया वादी द्वारा दावा में प्रतिवादी संख्या 8 सरपंच को पक्षकार बनाया है। वाद पेश करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम धारा 109 के तहत नोटिस नहीं दिया गया है? --जिम्मेप्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रदर्श 1, प्रतिलिपि निर्णय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर प्रदर्श 2, निर्णय अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर प्रदर्श 3, नकल डिक्री व निर्णय दिनांक 10.01.2000 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई प्रदर्श 4 एवं 5, नकल जमाबंदी संवत 2075--78 वाके ग्राम पींगौरा प्रदर्श 6, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी संवत 2034--37 वाके पींगौरा प्रदर्श 8, नकल नामा0 संख्या 536 दिनांक 23.07.11 प्रदर्श 9, प्रमाणित प्रतिलिपि मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र नदबई प्रदर्श 11 पेश किये गए एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में गोरधन पुत्र हरेती जाति कछवाया निवासी [illegible] जाति काछी निवासी पींगौरा, सावित्री पुत्री बीरबल जाति काछी [illegible] के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह प्रतिवादीगण के [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि वयनामा दिनांक 04.09.96 प्रदर्श डी 1, प्रमाणित प्रतिलिपि गोदनामा दिनांक 10.06.91 प्रदर्श डी 2, नकल जमाबंदी संवत 2051–54 वाके पींगौरा प्रदर्श डी 3 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में हरीश चंद पुत्र लज्जाराम निवासी अरतल, विजयसिंह पुत्र लज्जाराम निवासी अरतल, निहालसिंह पुत्र लज्जाराम निवासी अरतल, वीरेन्द्र पुत्र कलुआ राम निवासी अरतल के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। बहस के दौरान वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी वादिनीगण की पैतृक आराजी है जो कि स्वर्गीय पिता बीरबल की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी थी, बीरबल की मृत्योपरांत वादिनीगण एवं उनकी माता द्रोपती जो मूल वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 थी उक्त आराजी पर वाहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। यह कि मूल वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्रोपती जिसका दौरान दावा देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लज्जाराम था जिसकी मृत्यु भी दौरान दावा हो चुकी है जिसके वारिसान संशोधित वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 हैं। उक्त विवादित आराजी का दाखिल खारिज राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर एवं वादिनीगण को बिना किसी पूर्व सूचना के वादिनीगण की माता द्रोपती अकेली के नाम दर्ज कर दिया जो कि गलत है। वादिनीगण अपनी माता द्रोपती के साथ वाहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी हैं। लेकिन वादिनीगण की माता द्रोपती ने दिनांक 04.09.96 को साबिक खसरा नंबर 1933 हाल खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 का रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6के पिता व पति लज्जाराम को करा दिया जो कि वादिनीगण के हितों तक शून्य व निष्प्रभावी है।

वादी अधिवक्ता के कथन रहे कि जहां दावा कृषि भूमि से संबंधित हो गोदनामा, वसीयतनामा, विक्रयपत्रों को भी शून्य [illegible] कराने की रिलीफ चाही गई हो, जहां मुख्य घोषणा कृषि भूमि में खातेदारी [illegible]कारों की हो, ऐसी घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि बयनामा दिनांक 04.09.96 प्रदर्श डी 1, प्रमाणित प्रतिलिपि गोदनामा दिनांक 10.06.91 प्रदर्श डी 2, नकल जमाबंदी संवत 2051–54 बाके पींगौरा प्रदर्श डी 3 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में हरीश चंद पुत्र लज्जाराम निवासी अस्तल, विजयसिंह पुत्र लज्जाराम निवासी अस्तल, निहालसिंह पुत्र लज्जाराम निवासी अस्तल, बीरेन्द्र पुत्र कलुआ राम निवासी अस्तल के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। बहस के दौरान वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी वादिनीगण की पैतृक आराजी है जो कि स्वर्गीय पिता बीरबल की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी थी, बीरबल की मृत्योपरांत वादिनीगण एवं उनकी माता द्रोपती जो मूल वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 थी उक्त आराजी पर वाहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। यह कि मूल वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्रोपती जिसका दौरान दावा देहान्त हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 लज्जाराम था जिसकी मृत्यु भी दौरान दावा हो चुकी है जिसके वारिसान संशोधित वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 हैं। उक्त विवादित आराजी का दाखिल खारिज राजस्व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर एवं वादिनीगण को बिना किसी पूर्व सूचना के वादिनीगण की माता द्रोपती अकेली के नाम दर्ज कर दिया जो कि गलत है। वादिनीगण अपनी माता द्रोपती के साथ वाहिस्सा बराबर की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी हैं। लेकिन वादिनीगण की माता द्रोपती ने दिनांक 04.09.96 को साबिक खसरा नंबर 1933 हाल खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 का रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6के पिता व पति लज्जाराम को करा दिया जो कि वादिनीगण के हितों तक शून्य व निष्प्रभावी है।

वादी अधिवक्ता के कथन रहे कि जहां स्वयं कृषि भूमि से संबंधित हो गोदनामा, वसीयतनामा, विक्रयपत्रों को भी शून्य घोषित कराने की रिलीफ चाही गई हो, जहां मुख्य घोषणा कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की हो, ऐसी घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकती है। इसके इतर विक्रयपत्र, गोदनामा और वसीयत आदि तो आनुषंगिक राहत होती है उस संबंध में राजस्व न्यायालय को वादपत्र सुनने का अधिकार हासिल है। प्रतिवादीगण की यह आपत्ति कि विक्रयपत्र एवं गोदनामा को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, सही नहीं है। उक्त के संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं–

1. *RLW 2012 (4) page 3050*
2. *RRD 2000 page 391*
3. *RRD 1996 page 161*
4. *RRD 2001 page 415*

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में यह कथन भी किया कि प्रतिवादीगण ने गोदनामा दिनांक 10.06.91 के संबंध में अपने जबाव दावा में एक शब्द भी नहीं लिखा है और न ही साक्ष्य हेतु पेश शपथ पत्र में अंकित किया है क्योंकि हरीशचंद न तो कभी गोद लिया और न ही गोद गया। अतः गोदनामा दिनांक 10.06.91 जो प्रतिवादी संख्या 2 हरीशचंद के हक में दर्शाया गया है वह मात्र कागजी एवं दिखावटी गोदनामा है। इस संबंध में अहम साक्ष्य स्वयं हरीश चंद का शपथ पत्र. है जिसमें उसने स्वयं को आज भी लज्जाराम का पुत्र मानता है एवं जिरह में भी यह माना है कि हम तीन भाई हैं एवं लज्जाराम का वारिस हूं। हरीशंचद को द्रोपती की मृत्यु तक का नहीं पता और न ही द्रोपती की पुत्रियों के नाम भी नहीं पता हैं। प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया एक स्वतंत्र गवाह वीरेन्द्र पुत्र कलुआ है वह भी हरीशचंद को लज्जा का पुत्र मानता है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम की धारा 12 में ये प्रावधान है कि- जहां दत्तक व्यक्ति को नैसर्गिक माता–पिता द्वारा गोद दे दिया जाता है तो उसी दिनांक से उस अपत्य के समस्त प्रयोजनों के लिए अपने जन्म के कुटुम्ब के समस्त बंधन टूटे हुए तथा उसके स्थान पर दत्तक कुटुम्ब के समस्त बंधन सृजित हुए माने जाते हैं लेकिन यहां तो हरीश चंद ने अपने नैसर्गिक पिता लज्जाराम की अचल संपत्ति में विरासतन हक प्राप्त किया है जो नकल नामान्तरकरण संख्या 536 तारीख 23.07.19 है जो प्रदर्श 9 है। प्रदर्श 10 [illegible] में भी हरीशचंद के पिता का नाम लज्जाराम अंकित है। [illegible] गोदनामा दिनांक 10.06.91 जो केवल कागजी एवं दि[illegible] आधार पर द्रोपती की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

में हरीशचंद का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि उक्त गोदनाम आरंभ से ही शून्य है जिसे शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे। उक्त के संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं--

1. DNJ 1982 (2) page 518 गोदनामा को सिद्ध करना आवश्यक है।

यह कि नकल जमाबंदी संवत 2034-37 प्रदर्श 8 वाके ग्राम पींगौरा में विवादित आराजी का खातेदार बीरबल पुत्र मटोली अंकित था जो वादिनीगण का पिता एवं मूल वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्रोपती का पति था अतः उक्त आराजी वादिनीगण की पैतृक आराजी है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार वादिनीगण एवं उसकी माता द्रोपती जो प्रथम श्रेणी की वारिस है, को विरासतन वाहिस्सा बराबर प्राप्त हुई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादिनीगण की माता द्रोपती ने अपने अकेले के नाम इन्द्राज कराकर खसरा नंबर 1933 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 , संपूर्ण का वयनामा प्रतिवादीगण के पिता लज्जाराम को करा दिया है वो वादिनीगण के हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य है। उक्त के संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए हैं–

1. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 पेज नंबर 6–10 है।

अतः दावा वादिनीगण मुताबिक वादपत्र डिक्री किया जाकर वयनामा दिनांक 04.09.1996 को वादिनीगण के हिस्से तक एवं गोदनामा दिनांक 10.06.91 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जबाव दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। द्रोपती से रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 04.09.96 को विवादित आराजी क्रय की गई जिसका दाखिल खारिज 184 दर्ज हुआ। द्रोपती उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 1933 हाल खसरा नंबर 2440 की न्यारानूर खातेदार थी अतः बेचान का अधिकार था। द्रोपती द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी बेचान किया है। अन्य खसरा नंबर 56, 57, 58, 59 का बेचान जसराम पुत्र विजयसिंह को किया गया तथा खसरा नंबर 91 का बेचान भूपाल पुत्र मवासी को किया गया तथा खसरा नंबर 1176, 1177 को भी द्रोपती ने बेचान कर दि[illegible]गण द्वारा जो दावा पेश किया गया है वह वयनामा से बाधित है तथा रजि[illegible] वयनामा को निरस्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। हरीशचंद को गोदनामा के आधार पर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है केवल लज्जा के वारिस के रूप में पक्षकार बनाया है। उक्त बयनामा वर्ष 1996 का है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत पुत्री का विरासत के आधार पर अधिकार दिनांक 09.09.2005 से दिया गया है। अतः वादीगण का पैतृक संपत्ति के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का तर्क गलत है। दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किया जाए।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तत्पश्चात् तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादी विवादित आराजी खसरा नंबर 1933, 2795 वाके ग्राम पींगौरा पर वादिनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) वाहिस्सा बराबर वहैसियत खातेदार काश्तकार हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड नकल जमाबंदी संवत 2034–37 वाके ग्राम पींगौरा प्रदर्श 8 से साबित है कि उक्त विवादित आराजी बलबीर पुत्र मटोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त विवादित आराजी वादिनीगण एवं उसकी माता द्रोपती की पैतृक आराजी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि मृत पिता का उत्ताराधिकारी पुत्र, पुत्री एवं उसकी विधवा पत्नी होती है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त के रूप में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 पेज नंबर 6–10 पेश किए गए हैं जो कि उक्त तनकी का वादीगण के पक्ष में पूर्ण समर्थन करते हैं। अतः वादिनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) वाहिस्सा बराबर वहैसियत खातेदार काश्तकार हैं। उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण की एवं वादीगण के पिता की खातेदारी की आराजी है जिनकी मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हुई है व वादिनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) उत्तराधिकारी होने के कारण वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड नकल जमाबंदी संवत 2034–37 वाके ग्राम पींगौरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श 8 से साबित है कि उक्त विवादित आराजी बलबीर पुत्र मटोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त विवादित आराजी वादिनीगण एवं उसकी माता द्रोपती की पैतृक आराजी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट प्रावधान है कि मृत पिता का उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्री एवं उसकी विधवा पत्नी होती है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त के रूप में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 पेज नंबर 6--10 पेश किए गए हैं जो कि उक्त तनकी का वादीगण के पक्ष में पूर्ण समर्थन करते हैं। अतः वादिनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) उत्तराधिकारी होने के कारण वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हैं। उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (मूल वादपत्र) के पक्ष में जो वयनामा किया है वह गुपचुप व बिना अधिकार के है व वादिनीगण के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल व बेअसर है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णयानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 (मूल वादपत्र) विवादित आराजी पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हैं अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्रोपती (मूल वादपत्र) द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (मूल वादपत्र) के पक्ष में जो वयनामा किया है वह वादिनीगण के हक व हकूकों तक बातिल व बेअसर है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त के रूप में पेश किए गए आरआरडी 1996 के पृष्ठ संख्या 161 के पैरा 6,7,10 के अनुसार Rajasthan Tenancy Act, Section 207- Jurisdiction of the Court – Pit and substant of the suit is to be seen – Held, land in dispute is ancestral. are also co-shares in joint tenancy property being members of the same family – Looking to the subject matter and the relief claimed, only revenue court can decide it- If the court decrees the suit for declaration, the sale deed, by which the disputed land was transferred to the deft. No. 3 automatically becomes void. उक्त दृष्टान्त तनकी के वादीगण के हक में तय किए जाने का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि ऐसे वयनामा स्वतः ही वॉईड हो जाएंगे। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्रोपती (मूल वादपत्र) द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 (मूल वादपत्र) के पक्ष में जो वयनामा किया है वह वादिनीगण के हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 16:24:34 IST
Reason: SelfAttested

5/8/25

Scanned with OKEN Scanner

हकूकों तक बातिल व बेअसर है। उक्त तनकी भी वादीगण के हक में तय की जाती है।

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को हुक्म दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। चूंकि उपरोक्त तनकियों के निर्णय व विवेचन से स्पष्ट है कि वादिनीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार है अतः वादीगण अपने हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण को हुक्म दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से वादीगण के हक में तय की जाती है।

5. आया आराजी खसरा नंबर 1933 हाल खसरा नंबर 2440 वाके ग्राम पींगौरा को प्रतिवादीगण के मृतक पिता लज्जा ने प्रतिफल देकर द्रोपती से दिनांक 04.09.1996 को रजिस्टर्ड वयनामा से क्रय की गई। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि वयनामा दिनांक 04.09.1996 प्रदर्श डी 1 से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 1933 हाल खसरा नंबर 2440 वाके ग्राम पींगौरा को प्रतिवादीगण के मृतक पिता लज्जा ने प्रतिफल देकर द्रोपती से जरिए रजि0 वयनामा दिनांक 04.09.1996 से क्रय किया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

6 आया विवादित आराजी का वयनामा व गोदनामा को बातिल व बेअसर करने का सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रवितादीगण द्वारा उक्त तनकी के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआडी 2001 के पृष्ठ संख्या 415 के अनुसार राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित व संकुचित नहीं है बल्कि काफी विस्तृत है। जहां मुख्य दादरसी कृषि भूमि के संबंध में इस प्रकार हो जो आरटीए के अंतर्गत आती हो, तथा ऐसी दादरसी को विनिश्चित करने के लिए वादी अथवा प्रतिवादी के संबंध में गोदनामा, वसीयतनामा अथवा विक्रयपत्र जैसे दस्तावेजों का भी परीक्षण करना आवश्यक है। उक्त आदेश के [illegible] से स्पष्ट है कि यहां मुख्य दादरसी वयनामा, वसीयतनामा व गोदनामा [illegible] को शून्य घोषित करने को न होकर कृषि भूमि के [illegible] की खातेदारी की घोषणा एवं अपने हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के संबंध में है। अतः दावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है क्योंकि वादपत्र मुख्य रूप से खातेदारी घोषणा का है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

7. आया उक्त वयनामा का ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खोला गया जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई, दावा चलने योग्य नहीं है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। चूंकि वादीगण का वादपत्र खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का था जो कि वादपत्र में मुख्य दादरसी है। वादीगण द्वारा वादपत्र में नामान्तरकरण को निष्प्रभावी व शून्य घोषित करने की दादरसी नहीं चाही है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

8. आया वादी द्वारा दावा में प्रतिवादी संख्या 8 सरपंच को पक्षकार बनाया है। वाद पेश करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम धारा 109 के तहत नोटिस नहीं दिया गया है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 8 से कोई दादरसी नहीं चाही गई थी एवं प्रतिवादी संख्या 8 को दावा से तर्क किया गया था। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय विवेचन के आधार पर विवादित आराजी वादीगण की पैतृक आराजी होने के कारण अपनी माता द्रोपती के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हैं। दावा वादीगण स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2440 रकबा 0.57 हैक्ट0 वाके ग्राम अस्तल तहसील नदबई पर वादीगण को 5/6 वाहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/6 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम हो रहे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.25 को लिखाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:24:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

5/8/25
(R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
नदबई

Scanned with OKEN Scanner